न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील 09/2021

कृपाल पुत्र गील्या जाति मीना निवासी नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा

......अपीलांट

बनाम

1. मीठ्या पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा

... रेस्पों0

अपील विरूद्ध आदेश अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार जी मण्डावर ता० 31–12–2010 सहमति से तकास्मा बाबत कृषि भूमि खसरा न० 12 ला० 16 18, 147, 148, 149 159, 517 से 519, 504 से 508, 520, 521 कुल किता 20 कुल रकबा 6.42 है0 ग्राम नांगल मीना तह० मण्डावर जिला दौसा व रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश तहसीलदार मण्डावर दिनांक 8–2–21

उपस्थित– 1. श्री दिनेश शांडिल्य, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों0 सं. 1 अनु0
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार मंडावर द्वारा ग्राम नांगल मीना के पारित आपसी सहमति से पारित दिनांक 31.12.2010 व रिव्यु प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 8.2.2021 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि कानूनन ऐसे अवैध व अनुचित निर्णय व आदेश के खिलाफ अपील करने की कोई मियाद नहीं है। अपीलांट एक देहाती, अनपढ, कानून कायदों से व मियाद संबंधी जानकारी से अनभिज्ञ होने के कारण अपील समय पर पेश नहीं कर सका। अब वकील से सलाह लेकर यह अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है और अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना आवश्यक है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त आदेश की अपीलांट को पूर्व में ही जानकारी रही है। अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस [illegible] सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते [illegible] किया कि अपीलांट एक बिना पढा लिखा वृद्ध आदमी है तथा अं[illegible] मीना तहसील मण्डावर में आराजी खसरा नम्बर 12 ला0 16, 18, 147 ला[illegible]9, 159 517 ला0 [illegible] खसरा नंबर 504 ला0 508, 520, 521 कुल किता 20 रक्बा [illegible]42 है. स्थित है उक्त [illegible] अपीलांट व रेस्पोडेन्ट न0 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसपर संयुक्त रुप से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट उक्त विवादित भूमि मे हिस्सा 1/2 है यानी अपीलांट के हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3–21 है० भूमि रिकार्ड अनुसार आती है। अपीलांट ने कभी भी तहसीलदार मण्डावर के यहां आपसी सहमति मे तकास्मा हेतु आवेदन नही किया क्योकि तथाकथित आवेदन पर अपीलांट के हस्ताक्षर होना बताया गया है। जबकि अपीलांट बिना पढा लिखा केवल अंगूठा करता है परन्तु रेस्पोडेन्ट न0 1 ने पटवारी हलका से साज करके फर्जी तरीके से सहमति से तकास्मा का आवेदन पेश कर कैम्प मे चुपचाप मे अवैधानिक तरीके से सहमति से तकास्मा करवाने का फर्जी प्रार्थना पत्र पेश कर गलत तकास्मा कराने के आदेश करवा लिये उक्त आदेश देखने मात्र से ही साजिशी स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है क्योकि रेस्पो० न० 1 को 12 एयर जमीन तकास्मा में मिली भगत करके अपने नाम करवाली जबकि रिकार्ड अनुसार अपीलांट को 3–21 है० जमीन मिलनी चाहिए थी इससे स्पष्ट है कि उक्त तकास्मा सहमति कानून विरुद्ध कियागया है। तथा रेस्पोडेन्ट न0 1 ने मनमाने तरीके से मिली भगत कर स्वयं ने रोड के सहारे की भूमि ले ली तथा खराब जमीन अपीलांट को दी गई है तथा जो सहमति से तकास्मा का आवेदन है उसमे अपीलांट के हस्ताक्षर होना बताया है जबकि अपीलांट अगूठा करता है तथा बिना पढा लिखा है इससे स्पष्ट है कि आवेदन ही फर्जी व बनावटी है तथा उसके आधार पर किया गया आदेश उक्त अवैधानिक तकास्मा की जानकारी होते ही रिव्यू प्रार्थना पत्र तहसीलदार मण्डावर के यहा दिनांक तज्ज 22–12–20 को मय शपथ पत्र पेश किया जिस इपर तहसीलदार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलांट उक्त तकास्मा के निर्णय के विरुद्ध अपील कर राहत प्राप्त कर सकते है तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार बताकर दिनांक 8–2–2021 को खारिज कर दिया इसलिए उक्त अवैधानिक तकास्मा बाबत सहमति आदेश दिनांक 31–12–2010 व रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश 8–2–21 के विरुद्ध यह अपील पेश की जा रही है। अधिनस्थ तहसीलदार का तकास्मा आदेश 31–12–2010 व रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 8–2–2021 खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। तथाकथित तकास्मा प्रार्थना पत्र ही अवैध व अनुचित था क्योंकि तथाकथित प्रार्थना पत्र सहमति प्रार्थना पत्र तकास्मा पर अपीलांट के हस्ताक्षर होना बताया गया है जबकि अपीलांट ना तो पढा लिखा व्यक्ति है और नही हस्ताक्षर करता है बल्कि अंगूठा करता है । उसीलांट ने ऐसा कोई सहमति से तकास्मा करने का आवेदन ही तहसीलदार को नहीं दिया बल्कि रेस्पो० न० 1 ने फर्जी व बनावटी कार्यवाही कर मिली भगत कर अवैध प्रार्थना पत्र पेश कर सहमति से तकास्मा करवाया है जो प्रारम्भिक तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार ने जो तकास्मा किया है वह भी गलत किया है क्योकि विवादित भूमि में अपीलांट का 1/2 हिस्सा है व रिकार्डेड खातेदार है। एसी सूरत में अपीलांट को 3.21 है० भूमि नियम व कानून अनुसार मिलनी चाहिए थी। परन्तु तहसीलदार ने अपीलांट को 3.15 है० व रेस्पोंडेन्ट न0 1 को 3.27 है0 भूमि दी है जो कानून विरुद्ध है तथा रेस्पोंडेन्ट न0 1 से मिली भगत कर सरस नरस के आधार पर हिस्से अनुसार तकास्मा ही नही किया व जमीन मी कम ज्यादा दी है जो कानून विरुद्ध है व प्रथम दृष्टा ही निरस्त किये जाने योग्य है। तथा रेस्पोंडेन्ट नं0 1 ने मनमाने तरीके से मिली भगत कर रोड के सहारे की जमीन तकास्मा में नाम कराली व रोड के पीछे भूमि का तकास्मा रेस्पोंडेन्ट ने अपने नाम करा लिया। तहसीलदार ने तकास्मा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को न तो कोई सुनवाई का अवसर दिया और नही बुलाया। अपीलांट ना तो तहसीलदार के समक्ष कोइ सहमति से तकास्मा करने का आवेदन पेश किया और न ही तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुआ बल्कि सारी कार्यवाही रेस्पोंडेन्ट ने चुपचाप में कराली जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार को रिव्यू प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का पूर्ण अधिकार था परन्तु उन्होंने कानून विरुद्ध क्षेत्राधिकार बाहर मानते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र खरिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर सहमति तकास्मा आदेश दिनांक 31–12–2010 व रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 8–2–21 तहसीलदार मण्डावर निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

फरमाते हुए तहसीलदार मण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे कि अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर पुनः तकास्मा करने हेतु आदेश फरमावें साथ ही रेस्पों. नं० 1 के विरुद्ध फर्जी प्रार्थना पत्र पेश करने व मिलीभगत कर तकास्मा कराने के लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

5. अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 व उनके अधिवक्ता को अलग–2 समय पर आवाज दिलवाई गई किन्तु रेस्पों सं0 1 व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार मंडावर के द्वारा अपीलांट व रेस्पों0 के द्वारा आपसी सहमति से विभाजन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार मंडावर के द्वारा विधिवत रूप से तकास्मा आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. हमने मूल तकास्मा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह ज्ञात होता है कि कृषि भूमि का सहखातेदारों के बीच आपसी सहमति से विभाजन का प्रार्थना पत्र अपीलांट कृपाल एवं मीठया के द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार महवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पत्र अपीलांट कृपाल के भी हस्ताक्षर अंकित है। कानूनन सहमति से जो तकास्मा होता है उसकी अपील पोषणीय नहीं होने से हम खारिज किये जाने योग्य समझते है।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:15 IST
Reason: SelfAttested